भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 561
बुधवार, 4 फरवरी, 2026 (15 माघ, 1947, (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी संस्थाओं का नवीकरण

561 # श्री नीरज शेखरः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सहकारी संस्थाओं को नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे नए क्षेत्रों में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हां, मान्यवर । सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2025 को लॉन्च की गई राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 में "नए और उभरते क्षेत्रों में प्रवेश" पर एक समर्पित रणनीतिक स्तंभ है। इस स्तंभ के तहत, नीति, सहकारी समितियों को सूक्ष्म बीमा, नवीकरणीय ऊर्जा, जल वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन, बायोगैस उत्पादन, और मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित एग्रीगेटर सेवाओं (उदाहरण के लिए, टैक्सी ड्राइवरों की सहकारी समितियां और प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, आदि जैसी घरेलू सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति) जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

उपर्युक्त नीतिगत उद्देश्य के अनुरूप, टैक्सी चालकों की एक बहु-राज्य सहकारी संस्था, सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड की स्थापना की गई है। यह एक अभिनव, सहकारी-आधारित मोबिलिटी समाधान है जिसे ड्राइवरों को सशक्त बनाने और जनता को किफायती, विश्वसनीय परिवहन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सहकारिता, पारदर्शिता और साझा स्वामित्व के सिद्धांतों में निहित, सहकार टैक्सी पारंपरिक राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक जन-केंद्रित विकल्प है । इस पहल को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने सात अन्य प्रमुख संगठनों के साथ मिलकर बढ़ावा दिया है: इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड), आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (अमूल), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) । इस टैक्सी सेवा को "भारत टैक्सी" ब्रांड नाम से संचालित किया जाना है।
